राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.17/सीएमडी/2006 दिनांक 29 सितम्बर, 2006

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्ः

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

''जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध''

3.(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी तब तक कोई भी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी जब तक कि आवास वित्त कंपनी ने किसी एक अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से अपनी सावधि जमाओं के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त न की हो और रेटिंग की प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रेषित की जाए तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, बशर्ते किः

(i) आवास वित्त कंपनी ने उपरोक्त अनुसार अपनी सावधि जमाओं के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग से नीचे प्राप्त न की हो और सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, तब कंपनी अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है ।

(ii) आवास वित्त कंपनी जिसे अपनी सावधि जमाओं के लिए अपेक्षित रेटिंग प्राप्त न हुई हो, अधिसूचना की तारीख से छह माह के अंदर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमत्य वृद्धिकाल में, जो उसे अपनी सावधि जमाओं के लिए निर्दिष्ट रेटिंग प्राप्त करने के लिए दिया गया हो, उसे प्राप्त करेगी ।

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम फिलहाल निम्नानुसार हैंः-

(क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि.

(ख) आईसीआरए लि.

(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर)

(घ) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेपों सहित कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी सकल राशि और उसके द्वारा धारित अन्य राशियां, यदि हों, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 I की उप-धारा (बीबी) की धाराओं (iii) से (vii) में किया गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से लिये ऋण या अन्य सहायता की राशि उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के सोलह गुणा से अधिक हो ।

(3) जब आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर उपर्युक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक सार्वजनिक जमा राशियां और उसे अनुमत्य अनुसार या उपर्युक्त (2) में उल्लिखित मदों में जमाओं की राशि उपर्युक्त (2) में उल्लिखित सीमा से अधिक धारित करती हो, तो वह -

(i) नई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी या नए जमा खाते नहीं खोलेगी, या
(ii) मौजूदा जमाओं का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवर्ती योजना के तहत जमा राशियां प्राप्त करती है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के तहत किस्तें प्राप्त करती है,
(iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटा देती है ।

(4) निवेश ग्रेड से नीचे किसी भी स्तार क्रेडिट रेटिंग कम होने की दशा में, आवास वित्त कंपनी -

(i) स्थिति रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को पन्द्रह दिन में भेजेगी,
(ii) नई जमा राशियां स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर देगी, और
(iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटाएगी ।"

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक